झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं. 3226/2020

वाहिदा आरा, पति- मोहम्मद समीर, लगभग 36 वर्षीय, ग्राम- बदिया रोड, जामा मस्जिद नंबर 3 के पास, मुसाबोनी, डाक घर और थाना-मुसाबोनी, घाटशिला, जिला-पूर्वी सिंहभूम।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. शकील अख्तर, पिता- स्वर्गीय मो. नसीरुद्दीन, रोड न0.13, एच. नंबर 9, डाक घर और थाना-आजाद नगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, ग्राम- जमशेदपुर।

... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए	: श्री जितेश कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	: सुश्री श्वेता सिंह, अतिरिक्त निदेशक पी. पी
उत्तरदाता. नं. 2 के लिए	: श्री गिरीश मोहन सिंह, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें शिकायत प्रकरण संख्या 1973/2017 के मामले के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और एक तरफ करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ सी.आर.पी.सी. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की गई है और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 वर्ग, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

3. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि 10.06.2019 पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर ने सी.आर.पी.सी. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की है केवल इसलिए कि आरोपी अनुपस्थिति था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कानून सम्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना और इस संतुष्टि को धारा किए बिना कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है या खुद को छिपा रही है, सी.आर.पी.सी. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और याचिकाकर्ता के लिए समय और स्थान का उल्लेख किए बिना, जो उक्त मामले का आरोपी व्यक्ति है, उपस्थित होने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की गई है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2017 के शिकायत मामले संख्या.1973 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 10.06.2019 का आदेश जिसके तहत और जहाँ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सी.आर.पी.सी.की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की है। याचिकाकर्ता के खिलाफ; जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है; कानून के अनुसार नहीं होने के कारण, रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

5. विद्वान अतिरिक्त पी पी राज्य की ओर से पेश हुए पी. पी. और विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने शिकायत प्रकरण संख्या 1973/2017 के मामले के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांकित 10.06.2019 के आदेश को रद्द करने के अनुरोध का जोरदार विरोध किया, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 82 के तहत घोषणा जारी की है, जो अब

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 वर्ग, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है और प्रस्तुत करता है कि यह तथ्य कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 82 के तहत घोषणा जारी की है, यह स्वयं दर्शाता है कि सामग्री उपलब्ध थी। अभिलेख में विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने के लिए ऐसी घोषणा और कार्यवाही जारी करने का औचित्य है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सी.आर.एम.पी, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दिया जाए।

6. बार द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड द्वारा उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालत जो सी.आर.पी.सी. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करती है, उसे अपना संतोष धारा करना चाहिए कि जिस आरोपी के संबंध द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 82 के तहत घोषणा की गई है, वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है या खुद को छिपा रहा है और यदि अदालत सी.आर.पी.सी. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने का फैसला करती है तो उसे आदेश द्वारा ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए समय और स्थान का उल्लेख करना चाहिए। जिसके द्वारा सी.आर.पी.सी.की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की जाती है।जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, क्योंकि जमशेदपुर के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न तो अपना संतोष धारा किया है कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है या खुद को छिपा रही है और न ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान निर्धारित किया है, इस अदालत को यह निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना सी.आर.पी.सी.की धारा 82 के तहत उक्त घोषणा जारी करके गंभीर अवैधता की है। इसलिए, यह कानून में टिकाऊ नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां शिकायत प्रकरण संख्या 1973/2017 के मामले के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश, जिसमें और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ सी.आर.पी.सी.की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की गई है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1st क्लास, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

7. तदनुसार, शिकायत प्रकरण संख्या 1973/2017 के मामले के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 10.06.2019 का आदेश, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सी.आर.पी.सी.की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

8. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित कर सकते हैं।

9. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
15 अप्रैल, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./अनिमेष-सरोज

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।